

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग
-:: अधिसूचना ::-

दिनांक 19 फरवरी, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/17-18 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि बैहामुडा बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधियिम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. जिला- | रायगढ |
| 2. तहसील- | घरघोडा |
| 3. नगर/ग्राम- | बैहामुडा |
| 4. क्षेत्रफल- | 6.376 हे० |

खसरा नंबर	रकबा (हे०में)
4	0.275
5/1	1.094
13/1	1.009
164	0.547
165	1.084
167	1.546
168	0.821
कुल ख०न०- 07	कुल रकबा 6.376 हे०

- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोडा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ के राज्य के नाम से तथा
आदेशानुसार

(यशवंत कुमार)
कलेक्टर, रायगढ

एवं पदेन उप सचिव छ०ग०शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग